न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना–पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
03/25	111, LR Act	कल्याणपुरा	बारां

प्रार्थी	वाद शीर्षक	अप्रार्थी
संजीव वगे0	बनाम	कृष्ण कुमार वगे0
वकील :– श्री [illegible] एड0	आदेश पत्रक	वकील:–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
07.02.2025	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, एल आर एक्ट विरूद्व अप्रार्थी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 19/2/25 को पेश हो।	
19-2-25	पीठासीन अधिकारी [illegible] मे रहने से पूर्ववत दिनांक 12-3-25 को प्रस्तुत हो. रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री महेश प्रजापति गौतम एड. का वकालतनामा पेश हुआ	
12-3-25	पीठासीन अधिकारी [illegible] मे रहने से पूर्ववत दिनांक 7-5-25 को प्रस्तुत हो. रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
7-5-25	पीठासीन अधिकारी [illegible] मे रहने से पूर्ववत दिनांक 12-5-25 को प्रस्तुत हो. रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
12-5-25	पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकारान [illegible] उप0। वकील अप्रार्थी जवाब हेतु समय चाहते है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 19-5-25 को पेश हो।	
19/5/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान [illegible] उप0। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। [illegible] पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 26/5/25 को पेश हो।	

[illegible]5/6/25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर आये। पुनः वास्ते उभयपक्ष [illegible] हुई। पत्रावली वास्ते पेश [illegible] 25/6/25 को पेश हो

[illegible]25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर आये। [illegible]

[illegible] अधिकारी
[illegible]

निर्णय व इजलास श्री. बनवारी लाल बैरवा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 03/25
दायरा दिनांक :– 07.02.2025
निर्णय दिनांक :– 25/6/2025

उनवान

1. संजीव भारद्वाज पुत्र तिलकराज भारद्वाज जाति ब्राहम्ण
2. मनोज भारद्वाज पुत्र तिलकराज भारद्वाज जाति ब्राहम्ण
3. आराध्य पुत्र अरूण जाति ब्राहम्ण
4. कृति पुत्री अरूण जाति ब्राहम्ण
5. श्रुति पुत्री अरूण जाति ब्राहम्ण
6. सपना पत्नी अरूण जाति ब्राहम्ण निवासीगण सुहावन तहसील किशनगंज हाल निवासी सत्संग भवन रोड बारां तहसील बारां जिला बारां राज0

प्रार्थीगण–

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र गिरधारीलाल जाति धाकड निवासी बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एल.आर.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 25/6/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओम भारद्वाज एडवोकेट – प्रार्थीगण
2. महेश प्रकाश गौतम – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एल.आर.एक्ट विरूद्व प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का बारां के खाता संख्या नया 303 पुराना 13 की आराजी खरा नं0 570/152 रकबा 0.23 हे0, (ब) ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का बारां के खाता संख्या नया 13 पुराना 12 की आराजी खसरा नं0 568/152 रकबा 0.22 हे0, (स) ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का बारां के खाता संख्या नया 304 पुराना 13 की आराजी खसरा नं0 569/152 रकबा 0.22 हे0 स्थित है तथा इसी प्रकार ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का बारां में अप्रार्थी क्रम 1 की आराजी खाता संख्या नया 29 पुराना 24 की आराजी खसरा नं0 230 रकबा 2.87 हे0 स्थित है जिसे प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त आराजियात क्रमशः अ,ब,स प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजियात है उपरोक्त आराजी पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है। कि ग्राम कल्याणपुरा के मूल खसरा नं0 152 को प्रार्थीगण द्वारा अपने राजस्व रिकार्ड हिस्से अनुसार विभाजन करवा लिया गया है। उक्त विभाजन के बाद प्रार्थीगण को अपनी आराजी कम होने का तथ्य ज्ञात हुआ इस पर प्रार्थीगण द्वारा अपनी जमीन को नपवाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारियों के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु उनके द्वारा सही प्रकार से प्रार्थीगण की आराजी सीमाज्ञान नही किया

उपखण्ड अधिकारी
बारॉ

जा रहा है। जिससें प्रार्थीगण को काफी असुविधाओं का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण अपनी आराजियात का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने के अधिकारी एवं नालिशी है पडौसी काश्तकार से उपरोक्त आराजियात को लेकर सीमा विवाद बना रहता है उक्त सीमा विवाद का निस्तारण कराने के लिये प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु विवश होना पड रहा है। प्रार्थीगण द्वारा कई मर्तबा तहसीलदार बारां को सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया गया तो उनके द्वारा असमर्थता जाहिर करते हुये सक्षम न्यायालय में पत्थरगढी हेतु कार्यवाही प्रस्तुत करने की सलाह दिये जाने पर वाद कारण दिनांक 15.12.2024 को उत्पन्न हुआ है जो लगातार जारी है। कि माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है व अन्य वजूआत वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 1 में वर्णित आराजियात का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जावें अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री महेशप्रकाश गौतम एड0 द्वारा वकालत नामा पेश कर जवाब पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा सम्वत 2070–73, खाता संख्या नया 303 पुराना खाता संख्या 13, खसरा नं0 570/152, नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा सम्वत 2070–73, खाता संख्या नया 13, पुराना खाता संख्या 12, खसरा नं0 568/152, नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा सम्वत 2070–73, खाता संख्या नया 304, पुराना खाता संख्या 13, खसरा नं0 569/152, नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा सम्वत 2070–73, खाता संख्या नया 29 पुराना खाता संख्या 24, खसरा नं0 14, 230 व 531/15, नकल नक्शा ग्राम कल्याणपुरा खाता संख्या नया 13, पुराना खाता संख्या 12, खसरा नं0 568/152 नकल नक्शा ग्राम कल्याणपुरा खाता संख्या नया 303, पुराना खाता संख्या 13, खसरा नं0 570/152 पेश किया। अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में फोटो प्रति फैसला 14.07.1999, रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 03.07.1999 प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट दिनांक 01.06.1999, पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराया गया प्रार्थी का कथन है कि वाके ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का बारां के खाता संख्या नया 303 पुराना 13 की आराजी खरा नं0 570/152 रकबा 0.23 हे0, (ब) ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का बारां के खाता संख्या नया 13 पुराना 12 की आराजी खसरा नं0 568/152 रकबा 0.22 हे0, (स) ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का बारां के खाता संख्या नया 304 पुराना 13 की आराजी खसरा नं0 569/152 रकबा 0.22 हे0 स्थित है तथा इसी प्रकार ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का बारां में अप्रार्थी क्रम 1 की आराजी खाता संख्या नया 29 पुराना 24 की आराजी खसरा नं0 230 रकबा 2.87 हे0 स्थित है। उपरोक्त आराजियात प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजियात है। उपरोक्त आराजी पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है। कि ग्राम कल्याणपुरा के मूल खसरा नं0 152 को प्रार्थीगण द्वारा अपने राजस्व रिकार्ड हिस्से अनुसार विभाजन करवा लिया गया है। उक्त विभाजन के बाद प्रार्थीगण को अपनी आराजी कम होने का तथ्य ज्ञात हुआ इस पर प्रार्थीगण द्वारा अपनी जमीन को नपवाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारियों के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु उनके द्वारा सही प्रकार से प्रार्थीगण की आराजी सीमाज्ञान नही किया

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

जा रहा है। जिससें प्रार्थीगण को काफी असुविधाओं का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण अपनी आराजियात का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढीं करवाने के अधिकारी एवं नालिशी है पडौसी काश्तकार से उपरोक्त आराजियात को लेकर सीमा विवाद बना रहता है उक्त सीमा विवाद का निस्तारण कराने के लिये प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु विवश होना पड रहा है। प्रार्थीगण द्वारा कई मर्तबा तहसीलदार बारां को सीमाज्ञान व पत्थरगढीं करवाने हेतु निवेदन किया गया तो उनके द्वारा असमर्थता जाहिर करते हुये सक्षम न्यायालय में पत्थरगढी हेतु कार्यवाही प्रस्तुत करने की सलाह दिये जाने पर वाद कारण दिनांक 15.12.2024 को उत्पन्न हुआ है जो लगातार जारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जावें अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है, कि खसरा नं0 230 रकबा 2.87 हे0, का कोई विवाद नही है। प्रार्थीगण ने तथ्यों एवं पूर्व की कार्यवाहियों को जानबुझकर छुपाते हुए न्यायालय से सहायता प्राप्त करने का यह आवेदन मिथ्या तथ्यों पर प्रस्तुत किया जो प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है। प्रार्थीगण की पूर्व खातेदार श्रीमति उर्मिला द्वारा भी अप्रार्थी को पक्षकार बनाये बिना दिनांक 01.06.1999 को खसरा नं0 पुराना 152 की 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि जिसका रकबा 0.67 हे0, पर काबिज काश्त होना बताकर रकबा रिकार्ड में कम दर्ज होना कथन करते हुये कार्यवाही अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट की प्रस्तुत कर एक तरफा निर्णय दिनांक 14.07.1999 को प्राप्त कर लिया था जिसकी जानकारी अप्रार्थी को अपील बउनवान कृष्ण कुमार बनाम आराध्य आदि न्यायालय संभागीय आयुक्त अधिकारी, कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत की हुई है जिसमें आगामी पेशी 02.07. 2025 नियत है। उक्त अपील लंबित होने से यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। प्रार्थीगण के पूर्व खातेदार द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 01'.06.1999 में ही अभिवचन किए हुए है कि खाते में भूल दुरुस्ती का वाद क्रमांक 77/1993 उर्मिला बनाम राज0 सरकार पेशी 14.06.1999 में नियत है। उक्त वाद का क्या निर्णय हुआ इसे भी छुपाते हुए मिथ्या सीमा विवाद 15.12.2024 को उत्पन्न होना बताकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। Concealment of fact होने से प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थीगण ने विभाजन कार्यवाही एवं उसके परिणाम भी प्रस्तुत नही किए है। यह कि पूर्व निर्णय दिनांक 14.07. 1999 यद्यपि एकतरफा है बिना अप्रार्थी को सुने हुए दिया गया है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण ने छूपाकर यह प्रार्थना पत्र पत्थर गढीं व सीमाज्ञान हेतु इस अभिवचन के साथ प्रस्तुत किया कि तहसीलदार सीमाज्ञान को टालते आ रहे है। तो प्रार्थीगण को अपनी आराजी कम होने का किस प्रकार ज्ञात हुआ इसी से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी के मध्य कोई विवाद नही है। यह कि निर्णय दिनांक 14.07.1999 की पालना अवधि निकल जाने से भी प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मुताबिक वाद पत्र अनुसार वादीगण 1 संजीव भारद्वाज पुत्र तिलकराज भारद्वाज जाति ब्राहम्ण 2 मनोज भारद्वाज पुत्र तिलकराज भारद्वाज जाति ब्राहम्ण 3 आराध्य पुत्र अरूण जाति ब्राहम्ण 4 कृति पुत्री अरूण जाति ब्राहम्ण 5 श्रुति पुत्री अरूण जाति ब्राहम्ण 6 सपना पत्नी अरूण जाति ब्राहम्णा द्वारा स्वयं के खातेदारी में दर्ज भूमि माल कल्याणपुरा पटवारी हल्का बारां की आराजी

उपखण्ड अधिकारी
बारां

नं0 569/152 रकबा 0.22 हे0स्थित है तथा इसी प्रकार ग्राम कल्याणपुरा

खसरा नं0 569/152 रकबा 0.22 हे0, 568/122 रकबा 0.22 हे0, 570/152 रकबा 0.23 हे0, भूमि पर पड़ौसी खातेदारान से सीमा विवाद होने से पत्थर गढ़ी हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय बारां के पद के यहाँ वाद प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में उक्त आराजी खसरा संख्या में से आराजी खसरा नं0 570/152 रकबा 0.23 हे0 के प्रार्थी द्वारा कुछ भाग पेट्रोल पम्प हेतु रूपान्तरण करवाने में उक्त आराजी के तीन खसरा नं0 580/578 रकबा 0.111 हे0, 579/578 रकबा 0.1050 हे0, 577/570 रकबा 0.0150 हे0, रिकार्ड में दर्ज हुए है। उक्त आराजी का मूल नम्बर 152 रकबा 0.67 हे0 दर्ज था। जिसको खातेदारान द्वारा तरमीम से सीमाज्ञान करवाया गया। परन्तु मुतादिन बिन्दु नहीं होने से खातेदार द्वारा सेटलमेन्ट विभाग से सीमाज्ञान करवाया गया। परन्तु पड़ौसी खातेदार द्वारा सीमाज्ञान में बार-बार बाधा उत्पन्न करने से प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान के न्यायालय में पत्थर गढ़ी हेतु वाद दायर किया गया। तहसीलदार बारां की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो पक्षों में सीमा विवाद बना हुआ है तथा विवाद होने के कारण सीमाज्ञान नहीं हो पा रहा है। विवादित भूमि की सीमाओं का विवाद उत्पन्न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर पत्थर गढ़ी करवाया जाना न्यायोचित होगा।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कल्याणपुरा की आराजियात वर्तमान खाता संख्या नया 303 पुराना 13 की आराजी खसरा नं0 570/152 रकबा 0.23 हे0, खाता संख्या नया 13 पुराना 12 की आराजी खसरा नं0 568/152 रकबा 0.22 हे0, तथा खाता संख्या नया 304 पुराना 13 की आराजी खसरा नं0 569/152 रकबा 0.22 हे0, कुल 3 किता रकबा 0.67 हे0 भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थर गढ़ी करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(कल्याणी लाल बैरवा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां
उपखण्ड अधिकारी
बारां